भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1674
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पर्याप्त जल आपूर्ति

1674. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई रणनीति लागू करने का विचार है, क्योंकि कार्यात्मक आकलन 2022 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियों के अनुसार प्रतिदिन तीन घंटे की औसत जल आपूर्ति अवधि वाले कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन वाले घरों में हो रही जल आपूर्ति में राज्य-वार अंतर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और
(ग) घरों में वास्तविक जल आपूर्ति और कार्य पूरा होने के प्रमाणीकरण के बीच अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल क्रियान्वित कर रही है।

जल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जेजेएम के तहत, यह विभाग नियमित रूप से स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से 'नल कनेक्शनों की कार्यशीलता मूल्यांकन' आयोजित करता है। इस तरह का पिछला मूल्यांकन 2022 में पूरा हुआ था।

कार्यशीलता मूल्यांकन सर्वेक्षण की रिपोर्टों को यथाशीघ्र सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

से नियमित समीक्षा बैठकों/कार्यशालाओं के दौरान स्कीमों की कार्यशीलता में सुधार लाने के उपाय करने का अनुरोध किया जाता है। क्षेत्रीय दौरों के दौरान भी स्कीमों की कार्यशीलता की समीक्षा की जाती है और तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ टिप्पणियों की जानकारी दी जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने भी तृतीय पक्ष एजेंसी के जरिए जल जीवन मिशन लाभार्थियों से कॉल-आधारित प्रतिक्रिया प्राप्त की। पूर्व-निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर, राज्यों में लाभार्थियों से फोन कॉल के माध्यम से प्रतिक्रिया ली गई और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसके निष्कर्षों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था।

जेजेएम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में जिलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए अक्तूबर 2022 में, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 'जल जीवन सर्वेक्षण (जेजेएस)' का शुभारंभ किया गया था। इसका व्यापक उद्देश्य जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रेरित और स्थापित करना है तथा समय-समय पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के प्रयासों को मान्यता देना है। जेजेएस के अंतर्गत जिलों की मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक राष्ट्रीय रैंकिंग पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रकाशित की जाती थी। जिलों द्वारा गांवों को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित करने के लिए प्रेरित करने के लिए, एक विशेष श्रेणी के तहत, जिले के स्कोर की गणना में एचजीजे प्रमाणीकरण के मानदंड को भी महत्व दिया गया था।

जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी गांव में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन का प्रावधान करने के बाद, योजना को लागू करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद, ग्राम सभा अपनी बैठक में कार्य पूरा होने की रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए, औपचारिक रूप से 'हर घर जल' गांव के रूप में स्वयं को प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार, प्रमाणन केवल ग्राम स्तर पर और गांव के सभी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के बाद ही किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 02.12.2024 तक, 'हर घर जल' के रूप में सूचित किए गए लगभग 2.46 लाख गांवों में से 1.46 लाख से अधिक गांवों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया गया है।

*****